158

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 के अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस नियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) के द्वारा अंकित अनुसूची–1 एवं अनुसची–2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

ज्ञातव्य है पूर्व में झारखण्ड आरक्षण अधिनियम 2001 की अनुसूची 2 के क्रमांक 20 पर बनिया जाति के साथ सिन्दूरिया जाति सूचीबद्ध है।

अतएव राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि पिछड़ा वर्ग की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाय।

अनुसूची–2

क्रमांक–20 – बनिया की सूची में अंकित सिन्दूरिया जाति को मात्र विलोपित किया जाय।

अनुसूची–1

क्रमांक– 114 – पर सिन्दूरिया जाति जोड़ा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7/जाति निर्धारण–019–02/06 का. 1447 /रांची, दिनांक 24/08/2006

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रति कार्मिक, प्र.सु. तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायें।

सरकार के प्रधान सचिव

157

ज्ञापांक–7/जाति निर्धारण–019–02/06 का॰ 4447 /रांची, दिनांक 24/08/2006

प्रतिलिपि–राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त के सचिव, झारखण्ड, रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत करायें।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7/जाति निर्धारण–019–02/06 का॰ 4447 /रांची, दिनांक 24/8/2006

प्रतिलिपि–महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/विधान सभा सचिवालय/झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव